

(ख) पानी की पूर्ति को बढ़ाने के लिये दिल्ली नगर निगम द्वारा निम्नलिखित उपाय बरते गये :

(1) 4,00,00,000 गैलन प्रति दिन के एक अतिरिक्त प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इस में से 1,00,00,000 गैलन प्रति दिन का प्लांट 6 जनवरी, 1965 से काम करने लग गया है। मई, 1965 के मध्य तक, जब इस समय बन रहा बूस्टर पम्प काम करने लग जायेगा तो दक्षिण दिल्ली की बस्तियों को और अधिक पानी मिलने लगेगा। अतिरिक्त तीन करोड़ गैलन प्रति दिन का शेष प्लांट, आशा है कि अप्रैल, 1966 तक पूरा हो जायेगा और उस के बाद ऐसी आशा की जाती है कि पानी की कोई कमी नहीं रहेगी।

(2) 35 लाख गैलन पानी प्रति दिन देने वाले 20 ट्यूबवैल लगाये जा चुके हैं।

भारतीय सिक्कों का तस्कर व्यापार

3206. श्री अशोक लाल बैरवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 अप्रैल, 1965 को बम्बई के समुद्री तट पर स्वदेशी सिक्कों के पांच बोरे पकड़े गये, जो विदेश भेजे जाने थे;

(ख) यदि हां, तो इन सिक्कों का कुल मूल्य क्या था और ये किस स्थान को भेजे जा रहे थे;

(ग) क्या ले जाने वाला व्यक्ति भारतीय था; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री लि० त० कृष्णमा-
चारी) : (क) से (घ) महाराष्ट्र राज्य की पुलिस ने 8-1-65 को (न कि 1-4-65 को) मैरीन ड्राइव, बम्बई में नरीमान प्वाइंट पर 5 बैसे पकड़े थे जिन में भारतीय सिक्के थे। 18,937 रुपये के मूल्य के इन सिक्कों को पुलिस ने अनधिकृत माल के रूप में ले लिया था। महाराष्ट्र राज्य पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है। जांच-पड़तालों के पूरा हो जाने पर, यदि उचित हुआ तो सीमा शुल्क कानून के अधीन समूचित कार्यवाही शुरू की जायेगी।

Irrigation and Hydro-Electric Projects

3207. { Shri Kindar Lal:
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India's river development schemes and electric generating capacity will be expanded as a result of new agreements for loans and grants signed between the Governments of India and the United States in March, 1965;

(b) if so, the main features of such agreements;

(c) the total amount of such loans and grants; and

(d) when the scheme will be implemented?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) Yes.

(b) and (c). Three project agreements in respect of Irrigation and Hydro-electric projects were signed with the U.S. Government under PL.-480 during March, 1965:—

Name of the Project	Amount allocated (Rs. crores)	Whether loan or grant
1. River Valley Development (Supplement No. 10) Agreement No. 11	34.92	Loan
2. Rihand River Valley Development (Supplement No. 4) Agreement No. 20	3.29	Do.
3. Sabarigiri Hydro-electric Project Agreement No. 125	18.40	Do.

To relate to supplementary allocations under the existing agreements for River Valley Development and Rihand Valley Development Schemes. The third agreement for Rs. 18.4 crores, however, relates to Pamba-Kakki (Sabirigiri) Hydro-Electric Project.

The main PL-480 Commodity Agreement provides that a specified portion of the rupees accruing to the U.S. Government would be made available to the Government of India as loans and grants to finance mutually agreed projects of economic development. Separate operative documents known as "project agreements" are accordingly being signed between the two Governments from time to time allocating specific loan and grant funds to each project. The loans bear interest at 4% and are repayable in 73 six-monthly instalments commencing 4 years after they are drawn. The total allocation made under March, 1965 agreements is Rs. 56.61 crores.

(d) The schemes are under execution.

ग्रामीण क्षेत्रों में गृह-निर्माण

3208. { श्री युद्धवीर सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने नये मकान बनाने की योजना थी;

(ख) अब तक कितने मकान बन गये हैं तथा चालू योजनावधि के अन्त तक कितने और मकान बनाये जाने की आशा है; और

(ग) इस कार्य के लिये योजना में कितनी राशि निर्धारित की गई थी तथा उस में से वास्तव में कितनी व्यय हुई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) जैसा कि तृतीय योजना में निर्दिष्ट है, ग्रामीण आवास के लिये 1,25,000 मकानों का लक्ष्य है।

(ख) चालू योजना अवधि में कुल लगभग 25,000 मकान बनाने की आशा की जाती है, इस में अभी तक बने हुए लगभग 18,500 मकान शामिल होना बताया जाता है।

(ग) तीसरी योजना में ग्रामीण आवास प्रायोजनाओं की योजना के लिए 12.7 करोड़ रुपये की कुल व्यवस्था है, इस के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा पहले चार वर्षों में निकाली गई राशि केवल 2.86 करोड़ रुपये है। 1965-66 के लिये, जो कि योजना का अन्तिम वर्ष है, बजट व्यवस्था 1.21 करोड़ रुपये है।

पीने के पानी का सम्भरण

3209. { श्री युद्धवीर सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) क्या राज्य सरकारों को विशेष अनुदान दे कर पीने के पानी की समस्या को इस वर्ष हल करने की कोई योजना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को इस कार्य के लिये कितना धन देने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :

(क) राष्ट्रीय जल प्रदाय एवं सफाई योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले अनुदानों के प्रतिरिक्त कोई विशेष अनुदान देने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।